न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 08/2023

बउनवान

कन्हैयालाल आयु 45 वर्ष पुत्र श्री नमूरलाल दत्तक पुत्र जगन्नाथ, जाति मीना निवासी रजपाली, तहसील बारां जिला बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां (राज0) **(रेंस्पोडेंट)**

अपील विरूद्ध नामां. नं. 302 दिनांक 10.11.2019 ग्राम रजपाली न्यायालय तहसीलदार, बारां अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज0)

उपस्थिति :— 1. श्री एन.के.सोमानी एडवोकेट **(अपीलांट)**
2. परोकार सरकार **(रेंस्पोडेंट)**

निर्णय दिनांक 11.08.2023

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके माल ग्राम रजपाली में स्थित आराजी खसरा नं0 122 रकबा 0.08 है., 123 रकबा 0.02 है., 124 रकबा 0.04 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.14 है. भूमि जगन्नाथ पुत्र श्रीराम जाति मीणा साकिन रजपाली के राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। जगन्नाथ की मृत्यु दिनांक 17.10.2006 को हो चुकी है, जिसका फौती नामान्तरकरण खुलवाने हेतु तहसीलदार बारां के यहां अपीलार्थी ने मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर आवेदन करने पर नामांतरकरण नंबर 302 खोला जाकर पटवारी हल्का ने जांच कर कन्हैयालाल को जगन्नाथ का दत्तक पुत्र होना मानकर खोला जिस पर आई.एल.आर. ने जांच की तथा रिपोर्ट की। तत्पश्चात उक्त नामान्तरकरण बिना किसी आधार के तहसीलदार बारां द्वारा मात्र इस कयास के आधार पर कि असल गोदनामे की प्रति पेश नहीं की है, नामान्तरकरण आदेश दिनांक 10.11.2019 से खारिज कर दिया गया। गोदनामे का रजिस्ट्रेशन स्वैच्छिक है, अनिवार्य नही है। जगन्नाथ द्वारा अपीलांट को बचपन से गोद ले रखा था। जाति समाज के सामने गिविंग एंड टैकिंग सेरेमनी हुई थी, तब से अपीलांट ने जगन्नाथ के पास रहकर ही परवरिश पाई है तथा जगन्नाथ के द्वारा गोद लेने के पश्चात वाके माल खजूरनाखुद की आराजी खसरा नंबर 61 रकबा 0.15 है., 78/622 रकबा 0.66 है.कुल 0.81 है. भूमि अपना दत्तक पुत्र मानते हुए जर्ये रजिस्ट्री दिनांक 19.07.1997 से क्रय की है तथा उसके पश्चात मृतक जगन्नाथ के खाते की आराजी नामान्तरकरण संख्या 315 तहसील अन्तर्गत अपीलांट के खाते में दर्ज हुई है। इस प्रकार रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर यह स्पष्ट है कि अपीलांट मृतक जगन्नाथ का दत्तक पुत्र है तथा उसके खाते की आराजी का मालिक व स्वामी है। जगन्नाथ ने अपने जीवनकाल में कोई शादी नहीं की तथा लाओलाद फौत हुआ है तथा अपीलांट को गोद पुत्र रखा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 302 ग्राम रजपाली निरस्त कर तहसीलदार बारां को इस आदेश के साथ रिमांड की जावे कि अपीलांट को सुना जाकर रजिस्टर्ड दस्तावेज व राजस्व रिकार्ड के आधार पर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करें।

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.05 13:57:23 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच किये मात्र कयास के आधार पर नामान्तरकरण निरस्त किया गया है। जबकि मृतक जगन्नाथ ने ग्राम खजूरना खुर्द तहसील अन्ता की आराजीयात कुल 0.81 है. अपीलांट को अपना दत्तक पुत्र होना मानते हुए ही उसके नाम से क्रय की है जो नामान्तरकरण संख्या 315 ग्राम खजूरना खुर्द से अपीलांट के खाते दर्ज हुई है। मृतक जगन्नाथ ने अपने जीवनकाल में शादी नहीं की ना ही उसकी कोई सुल्फी औलाद थी इसीलिए मृतक द्वारा अपीलांट को गोद लिया था। अपीलांट मृतक जगन्नाथ का एक मात्र वारिस है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम रजपाली का नामान्तरकरण संख्या 302 निरस्त कर तहसीलदार बारां को पुनः प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा असल गोदनामा पेश नहीं करने पर उक्त नामान्तरकरण निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई त्रुटि नही की है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली में संलग्न जवाहरी बेवा गोपीलाल के विक्रय पत्र की छायाप्रति में क्रेता कन्हैयालाल को जगन्नाथ का दत्तक पुत्र होना अंकित किया गया है। ग्राम खजूरना खुर्द तहसील अन्ता में जगन्नाथ की खातेदारी की आराजी का फौती नामान्तरकरण कन्हैयालाल दत्तक पुत्र जगन्नाथ के नाम दर्ज किया गया है। प्रश्नगत नामान्तरकरण में असल गोदनामा नही होना पटवारी द्वारा अंकित किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण खारिज किया गया है। जबकि अपीलांट का मृतक जगन्नाथ का दत्तक पुत्र होने बाबत कोई जांच नहीं की गयी। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम रजपाली का नामान्तरकरण संख्या 302 दिनांक 10.11.2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बारां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट कन्हैयालाल का मृतक जगन्नाथ का दत्तक पुत्र होने बाबत जांच कर पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करें।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 11[illegible]202[illegible] को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.05 13:57:23 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर,बारां

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)